

**कार्यविधि**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश राजधानी**

संख्या: कार्यविधिपरिषद् सम्बद्धता/2021/0537

संघनाम: दिनांक: 08/08/2021

**कार्यविधि प्रायः**

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अफि इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिया सत्र 2021-22 हेतु विद्यमान राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद स्तरीय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्देदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि शक्ति अथवा मही पर विस्तार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पठ्यक्रम एवं उसमें अर्धिका प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1691-RAM-EESH INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
GAUTAMBUDH NAGAR

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	एड-आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60

**संबद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र एड-आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा नियमित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1993, संशोधन विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अर्देदों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अर्धिका पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,50,000/- प्रतिवर्ष, दो अर्धिका राज्यीय पठ्यक्रम हेतु रु० 45,000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो अर्धिका राज्यीय पठ्यक्रमों को संयोजित करने पर पठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु० 22,500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क को प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समर्थ में समान-समय पर वासना द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासनादेश सम्बद्ध हुए और उपर्युक्त

Ram-Eesh Institute of Engineering & Technology  
 Gautam Buddh Nagar, U.P.

कार्यावाही किया जाने आवश्यक होगा। पीएस निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीएस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ सत्र को [उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समिति एवं उच्च समिति] संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने दिनांकमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था की समस्त संपत्तियों पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को पीएस [पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी] से आयोजित सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बतये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा द्वारा बतये गये विधियों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि भी नहीं हैं, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी बात धारण किया जाता है तथा दूसरों बाध्य के अर्थ में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करने होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु सांख्यिकीय प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईटी/पीसीआईटी में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सांख्यिकीय) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीटें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं प्रेस संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, साफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त बातोंवरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु निर्देशन समिति के माध्यम उपलब्ध करायें गये अधिलेख भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी/पीसीआईटी के मानानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपादानुसार अनुशासनवाचक कार्यवाही की जाएगी।

*ASHU'S*  
*ASHU'S*

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव

पृ०सं०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4809

Pragati  
Care-Essence Institute of Engg & Technology  
3/1 - Sector Park, Greater Noida, U.P.

दिनांक: 09/08/2021

2023/24

DR. RAM-EESH INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, GAUTAMBUDDH  
NAGAR

*Signature*

Principal  
Dr. Ram-Eesh Institute of Engineering & Technology  
Gautam Buddha Nagar, Ghosia Road, G.P.O.

*Signature*

Dr. Sunil Kumar Singhania

Chairman







